तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 112/2016 बअनवान दमाराम बनाम कमलादेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसकी सूचना अपीलांटगण को नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त किसी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट को पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय भुरटिया में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 18/2016 बअनवान कमलादेवी बनाम हनुमानराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। 27/2/20 (नाथूसिंह राठौड़) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर यह आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27/2/20 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर